

फर्द अहकाम
बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

केस सं० 57/24

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/9/28	<p>पत्तावली पैच हरी नौरी पक्ष० हाजिरी की है। आज न्यायालय ने पक्ष० की उप० के विषय में- कार कला-2 एक कोषों लगावली गरी लिट ली नई उप० नही हुआ क्र० 0-9, R-7 ए.प.ए. के प्रथम प्रावधानों के तहत कफल पैरवी, कफल हाजिरी के पत्तावली करिण फरमायी जागी है पत्तावली जैलन शुमार होय दफ्तर वाजिल है दफ्तर नम्बर के पक्ष०</p>	

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल